क्रमांक ....

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

केंटीन संचालन हेतु
निविदा (प्रथम) प्रपत्र वर्ष 2019–20

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल – 462024
दूरभाष – 0755- 2478250 से 253
फैक्स नम्बर –0755- 2450896
E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल–462024
फोन नंबर (0755)–2478250 से 253, फैक्स नं0 (0755)–2450896
E-mail: sanchi.bhopal@gmail.com

: : मुख्य डेयरी संयंत्र स्थित कैंटीन संचालन हेतु निविदा (प्रथम) आमंत्रण सूचना : :

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के मुख्य डेयरी संयंत्र में स्थित कैंटीन का संचालन दिनांक 01.02.2019 से 31.01.2020 तक की अवधि के लिए ठेके पर करने हेतु अल्पकालीन अवधि में सील बंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 10.01.2019 से दिनांक 25.01.2019 समय दोपहर 12 बजे तक एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाईट www.mpcdf.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा निविदा प्रपत्र की राशि रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) दिनांक 25.01.2019 समय दोपहर 12 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय, हबीबगंज, भोपाल में नगद जमा कर उसकी मूल एम.आर निविदा प्रपत्र के साथ लगाना अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे हुये निविदा प्रपत्र दिनांक 25.01.2019 समय दोपहर 01 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे, जो उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दुग्ध संघ कार्यालय, हबीबगंज, भोपाल में खोले जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पास सुरक्षित होगा एवं यह निर्णय समस्त कानूनी परिधि से मुक्त होगा। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण एम.पी.सी.डी.एफ की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल– 462024

<u>भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल</u>
<u>डेयरी प्लांट, हबीबगंज, भोपाल</u>

<u>ठेके पर केंटीन संचालन कार्य हेतु निविदा (प्रथम) प्रपत्र</u>

1	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रू 500 / – (रूपये पांच सौ मात्र)
2	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	25.01.19 दोपहर 1:00 बजे तक भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल
3	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	25.01.19 दोपहर 3:00 बजे से
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली प्रतिभूति राशि	रूपये 10,000 / – (रूपये दस हजार मात्र) का डी.डी, जो कि **''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित''** या **''Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit'',** पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो
5	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, हबीबगंज, भोपाल
6	केंटीन ठेका हेतु तकनीकी अर्हतायें	प्रपत्र 01
7	केंटीन ठेका हेतु सामान्य शर्तें	प्रपत्र 02
8	भाव दर पत्रक	प्रपत्र 03

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या.
भोपाल ।

महोदय,

केंटीन संचालन कार्य हेतु दिनांक .... को समाचार पत्रों में प्रकाशित निविदा (प्रथम) सूचना के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा प्रतिभूति राशि रू. 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक .... जो कि, ...बैंक का है, संलग्न कर रहा हूँ अथवा भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में रसीद क्रमांक ....दिनांक ....से नगद जमा की है ।

तकनीकी अर्हतायें

क्र.	आवश्यक तकनीकी अर्हता	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न है अथवा नहीं अंकित करें
1	निविदाकर्ता का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)	संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
2	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता	पंजीकृत पार्टनरशिप डीड की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम	संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र ।	है/नहीं
4	निविदाकर्ता को ऐसे संस्थान में जहां कम से कम 200 कर्मचारी कार्यरत हों अथवा शैक्षणिक संस्थान में जहां कम से कम 200 विद्यार्थी अध्ययनरत हों, में केन्टीन संचालन का कम से कम 2 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है।	कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
5	निविदाकर्ता के पास नगर पालिका/नगर निगम द्वारा जारी खाद्य पदार्थ का व्यवसाय संबंधी लायसेंस होना अनिवार्य है।	नवीनीकृत लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
6	निविदाकर्ता के पास भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) द्वारा जारी लायसेंस होना अनिवार्य है।	खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन प्राप्त नवीनीकृत लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
7	निविदाकर्ता के पास टिन नम्बर होना अनिवार्य है।	टिन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
8	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।	पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं

9	बैंक का नाम, खाता क्रमांक एवं आई. एफ.एस.सी.कोड	बैंक पासबुक/केन्सिलड चैक की छायाप्रति संलग्न करें।	है/नहीं
10	वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 (कर निर्धारण वर्ष 2017–18 एवं 2018–2019) के आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण	आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की प्रति संलग्न करें।	है/नहीं

नोट :– (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है। मुख्य लिफाफे के अंदर, भाव दर पत्रक पृथक लिफाफ में प्रस्तुत करें।

(2) यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा उपरोक्त तकनीकी अर्हतायें (बिन्दु क्रमांक 01 से 10 तक) पूर्ण नहीं की जाती हैं, तो संबंधित निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत भाव दर पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी ।

स्थान :–	हस्ताक्षर
दिनांक :–	नाम :–
	वर्तमान पता :–
	स्थाई निवास का पता :–
	फोन नं.
	मोबाईल नं.

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

:: केंटीन संचालन हेतु निविदा शर्ते :: **प्रपत्र 02**

1	केंटीन ठेका आदेश/अनुबंध निष्पादन दिनांक 01.02.2019 से 31.01.2020 तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगा। केंटीन ठेकेदार का कार्य संतोषजनक होने पर ही प्रबंधन यह विचार कर सकेगा कि आपसी सहमति से ठेका अवधि आवश्यकतानुसार आगामी एक वर्ष तक पूर्व स्वीकृत दर एवं पूर्वानुसार शर्तों के आधार पर बढ़ाई जा सकेगी।
2	निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रतिभूति राशि रूपये 10,000/— (रूपये दस हजार मात्र) का डी.डी, जो कि **''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित'' या ''Bhopal Sahakari Dugdha Sangh Maryadit'',** पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो, मूलतः जमा करना होगा, जो कि ठेका आवंटन पश्चात् अमानत राशि में परिवर्तित हो जायेगी। अमानत राशि ठेके की अवधि समाप्ति के बाद नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्ति उपरांत वापसी योग्य होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
3	निविदा स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा ।
4	निविदाकर्ता को ऐसे संस्थान में जहां कम से कम 200 कर्मचारी कार्यरत हों अथवा शैक्षणिक संस्थान में जहां कम से कम 200 विद्यार्थी अध्ययनरत हों, में केन्टीन संचालन का कम से कम 2 वर्षो का अनुभव होना अनिवार्य है। वांछित अनुभव न रखने वाले निविदाकर्ता की निविदा निरस्त समझी जावेगी। इस हेतु निविदाकर्ता को कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगी।
5	निविदाकर्ता को टिन नं. एवं आयकर का पान नं. देना अनिवार्य होगा।
6	नगर पालिका/नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग एवं विक्रय विभाग से संबंधित जो भी लायसेंस/परमिट इत्यादि प्राप्त करना होगा उसकी समस्त जिम्मेदारी केंटीन ठेकेदार की होगी। साथ ही समस्त आवश्यक लायसेंस/परमिट की छायाप्रति ठेकेदार को दुग्ध संघ कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त विभाग के अधिकारी कभी भी केंटीन का निरीक्षण कर सकते हैं जिसके लिए भी केंटीन ठेकेदार जिम्मेदार होगा। यदि उन्होंने ठेकेदार के द्वारा नियम पालन नही करने की विपरीत टीप से प्रबंधन को अवगत कराया जाता है, तो श्रम अधिनियमों के अंतर्गत दंड आदि की जिम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी। यदि विपरीत टीप गंभीर प्रवृति की दी जाती है, तो ठेका तत्काल में निरस्त किया जाने का अधिकार प्रबंधन के पास सुरक्षित रहेगा।
7	निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल संबंधित निविदाकर्ता को स्वयं के खर्चे से अनुबंध पत्र हेतु रूपये 1,000/— (रू हजार मात्र) का गैर न्यायालयीन स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा एवं कार्य प्रारंभ से पूर्व अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर करने होंगे। निर्धारित अवधि तक अनुबंध निष्पादन नहीं होने पर निविदा में चयन स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा जमा प्रतिभूति राशि राजसात हो जायेगी।
8	केंटीन ठेकेदार को स्वयं के बर्तन, गैस चूल्हा एवं अन्य आवश्यक सामान की व्यवस्था करनी होगी एवं खाद्य सामग्री के निर्माण में गैस का ही प्रयोग किया जायेगा ।
9	केंटीन ठेके की अवधि में पानी व बिजली का व्यय भोपाल दुग्ध संघ द्वारा वहन किया जावेगा। परंतु केंटीन ठेकेदार बिजली के हीटर का उपयोग नहीं करेगा। हीटर का उपयोग करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक प्रकरण में रू. 500/— अर्थदण्ड किया जावेगा।

10	केंटीन भवन में फर्नीचर की व्यवस्था भोपाल दुग्ध संघ द्वारा की जावेगी परंतु उसकी देख–रेख ठेकेदार द्वारा की जावेगी । फर्नीचर को यदि कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उसकी भरपाई ठेकेदार से की जावेगी।
11	खाने–पीने की वस्तुओं एवं बैठने इत्यादि के स्थान को पूर्णतः साफ–सफाई के साथ व्यवस्थित करने की जिम्मेदार ठेकेदार की होगी। इस हेतु ठेकेदार को तीनों पालियों में सफाईकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगी।
12	भोपाल दुग्ध संघ में तीनों पालियों में कार्य होता है। अतः केंटीन ठेकेदार 24 घंटे चाय एवं नाश्ते की व्यवस्था करेगा। अवकाश के दिवसों में भी चाय एवं नाश्ते की व्यवस्था करनी होगी।
13	खाद्य पदार्थो एवं केंटीन की व्यवस्था का आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन स्वतंत्र है। केंटीन में असंतोषजनक खाद्य पदार्थ/खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता निम्न स्तर के पाये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह खाद्य सामग्री को नष्ट करवाने की कार्यवाही करते हुए केंटीन ठेकेदार पर रूपये 500/– का जुर्माना भी कर सकेगा। केंटीन में अव्यवस्था पाये जाने, गंदगी पाये जाने, केंटीन ठेकेदार/उसके श्रमिकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह केंटीन ठेकेदार पर रूपये 500/– का जुर्माना कर सकेगा। यदि केंटीन ठेकेदार द्वारा लगातार उपरोक्त कृत्यों की पुनरावृत्ति की जाती है तथा अपने कार्य एवं व्यवहार में सुधार नहीं लाया जाता है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि केंटीन ठेका तत्काल बगैर नोटिस दिये निरस्त कर दे तथा अमानत राशि जब्त कर ले।
14	केंटीन ठेकेदार को समस्त श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। केंटीन में रखे जाने वाले श्रमिकों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
15	केंटीन ठेकेदार को अपने श्रमिकों को भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निश्चित की गई रंग की दो गणवेश स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना होगी। यदि श्रमिक निर्धारित गणवेश में उपस्थित नहीं होते हैं तो केंटीन ठेकेदार से रू. 100/– प्रति श्रमिक प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर वसूल किया जावेगा।
16	केंटीन ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को वेतन का भुगतान **न्यूनतम वेतन की दरों के अनुसार** करना होगा । समय–समय पर शासन द्वारा न्यूनतम वेतन की दरें बढ़ाई जाने पर केंटीन ठेकेदार को तदानुसार श्रमिकों की मजदूरी का पूर्ण भुगतान करना होगा ।
17	केंटीन में कार्यरत, केंटीन ठेकेदार के कर्मचारियों को सभी प्रकार के भुगतान जैसे **कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा योजना** आदि के भुगतान की जबाबदारी केंटीन ठेकेदार की होगी।
18	भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार केंटीन ठेकेदार को उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जॉच करवानी होगी तथा तत्संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य पर लगाये गये श्रमिकों को वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माह में) एण्टी टिटनेस का इंजेक्शन ठेकेदार को लगवाना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा प्रबंधन को दी जाना आवश्यक होगी । ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों को छूत की बीमारी या अन्य कोई गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। कार्य के दौरान यदि कोई श्रमिक आहत होता है तो उसे तत्काल चिकित्सा सुविधा व अन्य नियमानुसार सुविधायें ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध करवानी होंगी। ऐसा न करने की स्थिति में यदि प्रबंधन द्वारा यह सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसकी राशि ठेकेदार से वसूली जावेगी तथा आर्थिक दण्ड़ भी लगाया जा सकेगा।

19	केंटीन ठेकेदार को अच्छे आचरण एवं चरित्र के श्रमिक कार्य पर रखने होंगें। उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण प्रचलित न हो तथा उनके विरूद्ध किसी पुलिस थाने में कोई प्राथमिकी रिपोर्ट भी दर्ज न हो। यदि कोई श्रमिक डेरी संयंत्र/कार्यालय परिसर में अभद्र व्यवहार या लडाई झगडा करता हुआ पाया जाता है अथवा संघ के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो ठेकेदार को ऐसे श्रमिक तत्काल हटाना होंगें। ठेकेदार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपराधिक प्रवृत्ति/सजायाफ्ता/असामाजिक कार्य में लिप्त व्यक्ति कार्य पर न रहें। अगर ऐसा पाया गया तो समस्त वैधानिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। किसी भी श्रमिक द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर प्रति श्रमिक राशि रूपये 500/– तक अर्थदण्ड ठेकेदार पर अधिरोपित किया जा सकेगा।
20	केंटीन ठेकेदार के श्रमिकों का किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा। वे संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग नहीं लेगें। यदि कोई श्रमिक कर्मचारी यूनियन से सदस्यता लेता है या संघ के विरूद्ध हड़ताल, प्रदर्शन या धरना आंदोलन में भाग लेता है या संयत्र को बंद कराता है, तो उसकी सेवायें तत्काल समाप्त करना ठेकेदार की अनिवार्य जिम्मेदारी होगी। दोषी पाये गये श्रमिक को पुनः कार्य पर नहीं रखा जावेगा। इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति श्रमिक रूपये 500/– तक अर्थदण्ड भी लगाया जा सकेगा, जिसकी वसूली ठेकेदार से की जा सकेगी।
21	केंटीन ठेकेदार अथवा भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन एक माह की लिखित पूर्व सूचना के आधार पर अनुबंध समाप्त कर सकेगा। ठेकेदार द्वारा लिखित में सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में भोपाल दुग्ध संघ को यह अधिकार होगा कि वह अमानत राशि को राजसात कर सकेगा ।
22	अनुबंध समाप्त होने की स्थिति में केंटीन ठेकेदार से यदि कोई सामग्री, धनराशि, आर्थिक दण्ड एवं किसी भी प्रकार की वसूली शेष रहती है, तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि ठेकेदार की अमानत राशि में समायोजित कर शेष राशि ठेकेदार को वापस करेगा। केंटीन ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
23	केंटीन ठेकेदार द्वारा यदि अपने उत्पादों की बिक्री के लिये उधारी दी जाती है तो वह उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी ।
24	ठेकेदार द्वारा सामग्री का विक्रय पूर्व स्वीकृत दरों पर ही किया जावेगा ।
25	ठेकेदार द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में उत्पादित वस्तुओं का विक्रय केंटीन में नहीं किया जायेगा।
26	यदि एक से अधिक निविदाकर्ताओं द्वारा एक समान दरें प्रस्तुत की जाती है, तो ठेका आवंटन हेतु लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा। लॉटरी के समय निविदाकर्ता/उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।
27	भोपाल सहकारी दुग्ध संघ संयंत्र में कार्यरत श्रमिक ठेकेदार, सुरक्षा ठेकेदार, संचालक मण्डल के सदस्यों/उनके परिजनों, दुग्ध संघ के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों तथा दुग्ध सहकारी समितियों के पदाधिकारियों/उनके परिजनों को केंटीन ठेका प्रदान नहीं किया जावेगा।

28	भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर अनुबंध की शर्तों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नवीन शर्तों को जोडा जा सकता । यदि परिस्थितियों/नियमों/अधिनियमों में संशोधन/परिवर्तन के फलस्वरूप कतिपय शर्तों में परिवर्तन/संशोधन/समावेश किया जाना आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की सहमति पर अनुबंध में संशोधन किया जा सकेगा। असहमति की दशा में एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।
29	भाव दरें खोलने के पश्चात यदि प्रबंधन को दरें अधिक प्रतीत हों और वह आवश्यक समझे तो न्यूनतम निविदाकर्ता को निगोशिएशन हेतु बुलाया जा सकता है। इस विषय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
30	यदि ठेके की शर्तो के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद को ''आर्बिट्रेशन''/ ''अधिनिर्णयार्थ'' हेतु अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को सौंपा जावेगा । अध्यक्ष, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
31	किसी भी वाद–विवाद की सुनवाई भोपाल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही होगी ।

उपरोक्त शर्त क्रमांक 1 से 31 तक सभी शर्ते मैंने पढ़ी और समझी हैं । उक्त समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 03 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

स्थान :–	हस्ताक्षर
दिनांक :–	नाम :–
	वर्तमान पता :–
	स्थाई निवास का पता :–
	फोन न.
	मोबाईल नं.

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल
डेयरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

:: **भाव दर पत्रक** ::

प्रपत्र 03

क्र	विवरण	मात्रा	दर
1	चाय	80 एम.एल.	
2	कॉफी	80 एम.एल.	
3	समोसा	50 ग्राम	
4	कचौडी	50 ग्राम	
5	पोहा एक प्लेट	100 ग्राम	
6	जलेबी	50 ग्राम	
7	भजिये	50 ग्राम	
8	मंगोडे	50 ग्राम	

मेरे द्वारा भाव पत्र में दी गई सभी जानकारी पढ़ी और समझ ली गई हैं। प्रपत्र 02 में दी गई समस्त शर्ते स्वीकार करते हुए निर्धारित प्रपत्र 03 में भाव दर प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

स्थान :—	हस्ताक्षर :—
दिनांक :—	नाम :—
	वर्तमान पता :—
	स्थाई निवास का पता :—
	मोबाईल / दूरभाष नं.:—